विलोपित विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2013 R.2881-III/13

1. मालम पुत्र श्री मुकुंदी,
2. बटरू (मृत) द्वारा वारिसान श्रीमती मुन्नी बाई,
3. लटूरा (मृत) द्वारा वारिसान बबलू पुत्र सकुआ,
4. दिमान पुत्र श्री मुकुंदी,

निवासीगण–ग्राम बरखेड़ा, नई सराय, तहसील साडोरा, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

अवधेश शर्मा, अभि० 25-7-13.

25-7-13

25.07.13

———आवेदकगण

विरूद्ध

1. आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म.प्र.)
2. कलेक्टर, जिला अशोक नगर (म.प्र.)
3. अनुविभागीय अधिकारी, तह. साडोरा, जिला अशोक नगर (म.प्र.)
4. नायब तहसीलदार, तह. साडोरा, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

———अनावेदकगण

2334

NOTARY GWALIOR (M.P.) GOVT. OF MADHYA PRADESH

न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोक नगर (म.प्र.) के द्वारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक **19/12/2012** के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यह कि, आवेदकगण ग्राम बरखेड़ा, तहसील नई सराय, जिला अशोक नगर के स्थायी निवासी होकर भूमिहीन व्यक्ति है।

Tem 3/d (sunil)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.-2881-तीन/2013 जिला- अशोकनगर

मालम आदि विरूद्ध म.प्र. शासन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 65/स्वमेवनिगरानी/04-05 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	